संख्या-199/2022/001-1501-23-10-22-03-सेतु-2022-टी0सी0

प्रेषक,

प्रभुनाथ,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ: दिनांक 23 दिसम्बर, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत राज्य योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में ग्राम हरिहर एवं अकबरपुर के मध्य झिनगी नाले पर 2x6.00 मी0 स्पान का स्लैब कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-805/नदी सेतु/मध्य क्षेत्र/बी0एम0सी0/22 दिनांक 08.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में ग्राम हरिहर एवं अकबरपुर के मध्य झिनगी नाले पर 2x6.00 मी0 स्पान का स्लैब कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु लागत रू0 240.64 लाख (रूपये दो करोड़ चालीस लाख चौंसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान सं0-57/83 से रू0 120.32 लाख (रूपये एक करोड़ बीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्यपाल निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनु0-57	अनु0-83	कुल योग (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	जनपद लखनऊ में ग्राम हरिहर एवं अकबरपुर के मध्य झिनगी नाले पर 2x6.00 मी0 स्पान का स्लैब कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	240.64	94.80	25.52	120.32	लो0वि0नि0
		योग -	**240.64**	**94.80**	**25.52**	**120.32**	

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य/ सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/ दस-2011-17(4)/75 दि0 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए0-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दि0 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी ।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(9) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तकविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

(10) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तार से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृ (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्यय योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अत: भूमि का क्रय विभागाध्य द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(13) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानत हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(15) विभागाध्याक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 94,80,000 (रुपये चौरानबें लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 25,52,000 (रुपये पच्चीस लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-8-361-X-2022-23 दिनॉक 16 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-199/2022/1501(1)/23-10-22-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मण्डलायुक्त, लखनऊ/ जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी ।
4 प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
10- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।